

1241

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदम सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठारीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - लगावनी)



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 254 687 दायर दिनांक 21/10/2025 निष्पन्न दिनांक 21/10/25

क्र.सं.	नाम, ग्राम	स्थान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	लालू का नुवा	14	<p>महोदय जी, निवेदन है कि गुताधिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी <u>श्रीमान पुन लालूराज आद</u> <u>श्रीमान देव</u> <u>श्रीमान बड़ीदा राजस्थान बैंक</u> <u>ग्रामीण बैंक छावा दयाणा</u></p> <p>शुद्ध प्रविष्टी <u>श्रीमान पुन लालूराज आद</u> <u>श्रीमान देव</u> <u>श्रीमान राजस्थान ग्रामीण</u> <u>बैंक छावा दयाणा</u></p> <p>21/10/2025 तहसीलदार कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.आधि.1956 की धारा 136 के अन्वये राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी बड़ीदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्थान बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p>

हस्ताक्षर प्रारम्भ
 21/10/2025
 जिला-चित्तौड़गढ़

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चित्तौड़गढ़